संख्या- 106/2025/1514/छप्पन-2025-56-1001(099)/3/2022

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2025

विषय: शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु एक नये हेलीकाप्टर AW139 के क्रय अनुबन्ध के अनुसार अवशेष मूल्य 70% समतुल्य धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 263/ना0उ0नि0उ0प्र0/इंजी/एल.एच-1/2023(पी) दिनांक 21 नवम्बर, 2025 एवं पत्रांक 283/ना0उ0नि0उ0प्र0/इंजी/एल.एच-1/2023(पी) दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या 37/2024/364/छप्पन-2024-56-1001(099)/3/2022 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु नये हेलीकाप्टर AW139 मेसर्स Leonardo S.P.A, Italy से क्रय किये जाने हेतु अनुबन्धित धनराशि मूल्य 2,06,50,000.00 यूरो का भुगतान अनुबन्ध के पैरा 3.1.1 के क्रम में विक्रय मूल्य 2,06,50,000.00 यूरो की 30% धनराशि 61,95,000.00 यूरो भारतीय मुद्रा में 91.00 प्रति यूरो की दर से रू0 56,37,45,000.00 (रूपए छप्पन करोड़ सैत्तीस लाख पैतालिस हजार मात्र) अग्रिम आहरण एवं भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसका भुगतान गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में फर्म को किया जा चुका है। इस प्रकार निर्माता कम्पनी को अवशेष धनराशि €1,44,55,000.00 का भुगतान अनुबन्ध की शर्तानुसार किया जाना हैं।

2- निदेशक द्वारा निर्माता कम्पनी Leonardo S.P.A, Italy को एक नये हेलीकाप्टर AW139 के क्रय अनुबन्ध के अनुसार अवशेष मूल्य 70% की धनराशि एवं अन्य चार्जेज का निम्नलिखितानुसार कुल धनराशि ₹2,65,45,52,500.00 (रूपए दो अरब पैसठ करोड़ पैतालिस लाख बावन हजार पांच सौ मात्र) के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रिम आहरण एवं निर्माता फर्म को अनुबन्ध के पैरा 3.1 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग, लखनऊ में खुले लैटर ऑफ क्रेडिट खाते से प्राप्त इन्वाइसों के आधार पर (सक्षम अधिकारी सत्यापन एवं प्रतिहस्ताक्षर किये जाने के पश्चात्) भुगतान किये जाने एवं आयातित हेलीकाप्टर पर अनुमानित कस्टम ड्यूटी ₹98,50,00,000.00 का भुगतान विभागीय बचत खाते में जमा कर चेक/ ट्रान्सफर के माध्यम से तथा कस्टम हाउस एजेन्ट को वेयर हाउस चार्जेज एवं टर्मिनल चार्जेज के रूप में अनुमानित्त व्यय लगभग ₹7,00,000.00 तक की धनराशि बिल बेसिस के आधार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट एलाटमेन्ट सिस्टम के माध्यम से निदेशक, नागरिक उड्डयन को ₹ 2,65,52,52,500.00 (₹ दो अरब पैसठ करोड़ बावन लाख बावन हजार पांच सौ मात्र) बजट आंवटित करने का अनुरोध किया गया हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1.	निर्माता कम्पनी Leonardo S.P.A, Italy को एक नये हेलीकाप्टर AW139 के क्रय अनुबन्ध के अनुसार अवशेष मूल्य 70% की धनराशि €1,44,55,000.00 भारतीय विनिमय दर में ₹ 105.00 प्रति यूरो की दर से 1. Payment of Para 3.1.2(a) ₹1,300,950,000.00 ₹12,390,000.00 € @ 105.00 per € 2. Balance Payment of Para 3.1.2(b) ₹216,825,000.00 ₹2,065,000.00 € @105.00 per €	₹1,51,77,75,000.00
2.	लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेज 10% प्रतिशत की दर से	₹15,17,77,500.00
3.	आयतित हेलीकाप्टर पर कस्टम ड्यूटी	₹98,50,00,000.00
4.	कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे०बी०के० इण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली को वेयर हाउस चार्जेज एवं टर्मिनल चार्जेज	₹7,00,000.00
	कुल धनराशि	₹2,65,52,52,500.00

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माता कम्पनी Leonardo S.P.A, Italy को एक नये हेलीकाप्टर AW139 के क्रय अनुबन्ध के अनुसार अवशेष मूल्य 70% की धनराशि €1,44,55,000.00 एवं अन्य चार्जेज सहित कुल धनराशि ₹2,65,45,52,500.00 (रूपए दो अरब पैसठ करोड़ पैतालिस लाख बावन हजार पांच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके अग्रिम आहरण एवं निर्माता फर्म को अनुबन्ध के पैरा 3.1 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग, लखनऊ में खुले लैटर ऑफ क्रेडिट खाते से प्राप्त इन्वाइसों के आधार पर (सक्षम अधिकारी सत्यापन एवं प्रतिहस्ताक्षर किये जाने के पश्चात्) भुगतान किये जाने एवं आयातित हेलीकाप्टर पर अनुमानित कस्टम ड्यूटी ₹98,50,00,000.00 का भुगतान विभागीय बचत खाते में जमा कर चेक/ ट्रान्सफर के माध्यम से तथा कस्टम हाउस एजेन्ट को वेयर हाउस चार्जेज एवं टर्मिनल चार्जेज के रूप में अनुमानित्त व्यय लगभग ₹7,00,000.00 तक की धनराशि बिल बेसिस के आधार पर अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,65,52,52,500.00 (₹ दो अरब पैसठ करोड़ बावन लाख बावन हजार पांच सौ मात्र) बजट आंवटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्नुयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्श्रगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्नुयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्नुयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0 38 के लेखाशीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय के मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-108-X-2025-26- दिनांक 08 दिसम्बर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-106/2025/1514/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-111, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
5- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in